Seventeenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding alleged discrimination in recruitment of SC, ST and OBC categories in central universities.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। उसी कड़ी को जोड़ते हुए वंचित वर्गों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैसे देश और प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया में लंबे अरसे से एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अभ्यार्थियों को सुनियोजित तरीके से इंटरव्यू में अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है।

महोदय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिये गये संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से कई पद जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद खाली हैं। बहाना बनाया जाता है कि अभ्यार्थी योग्य नहीं हैं, जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इन वर्गों के योग्य अभ्यार्थियों की भरमार है, लेकिन सामंतवादी सोच के कारण इन पदों को नहीं भरा जा रहा है।

वर्तमान की बात करें तो हाल ही में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कुलपति के कार्यालय में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दृश्य कला संकाय आदि के विभिन्न विभागों के साथ ही अर्थशास्त्र, कला, इतिहास, हिन्दी, दर्शनशास्त्र, रसायन विज्ञान विभागों में बड़ी संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के योग्य अभ्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाकर सुनियोजित तरीके से अयोग्य घोषित किया गया है।

इसी तरह से चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग में वंचित वर्गों के लिए आरक्षित सभी पाँच पदों के अभ्यार्थियों को अयोग्य ठहराया गया, जबकि वे अभ्यार्थी बीएचयू के ही पास आउट थे। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में जिस अभ्यार्थी को चयन में अयोग्य ठहराया गया, वह उसी संकाय का गोल्ड मेडलिस्ट है और वहाँ

पाँच सालों से...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शंकर लालवानी।

श्रीमती संगीता आजाद : सर, मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। समय-समय पर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों ने केन्द्र और प्रदेश सरकार को अपनी समस्याओं का ज्ञापन देकर और धरना प्रदर्शन करके अवगत कराया है, लेकिन फिर भी उन दोषी अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी केन्द्र सरकार से माँग है कि एक विशेष अभियान चलाकर शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग यानी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को खाली पदों पर आरक्षण के अनुपात में भरा जाए, जिससे भारतीय संविधान की मूल भावना को बचाया जा सके और जो दोषी अधिकारी इस कार्य में संलग्न हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री कुलदीप राय शर्मा और

श्री मलूक नागर को श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।